विकास आयुक्त कार्यालय

वी विंग द्वितीय तल, विंन्ध्याचल भवन
मध्य प्रदेश भोपाल

क्र. Q / वि-7 / PMAY / भोपाल दिनांक 09 / 12 / 2016

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–मध्यप्रदेश।

विषयः प्रधानमंत्री अवास योजना–ग्रामीण के हितग्राहियों का उन्मुखीकरण।

—00—

मा. मुख्यमंत्रीजी ने 4 दिसम्बर 2016 को मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का शुभारम्भ किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत वर्ष 2016–17 के लिए चयनित पात्र हितग्राहियों का उन्मुखीकरण जिला मुख्यालय पर कर्यक्रम आयोजित कर किया जाना है।

2. नियत तिथि को उन्मुखीकरण कार्यक्रम दो सत्रों में किया जाना है:–

(i) प्रथम सत्र ढाई से तीन घन्टे का होगा। इसमें हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित फिल्म दिखाई जाए, पावर पाईन्ट प्रजेन्टेशन किया जाए, अनुदान की किश्तों, निर्माण के विभिन्न चरणों, निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था, मिस्त्री की व्यवस्था, निर्माण की गुणवत्ता आदि के संबंध में जानकारी देकर उनका उन्मुखीकरण किया जाए।

(ii) द्वितीय सत्र में हितग्राहियों को स्वीकृति आदेश वितरित किए जाना हैं। प्रत्येक विकासखण्ड के कुछ हितग्राहियों को मंच पर बुलाकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि / अध्यक्ष व्दारा स्वीकृति आदेश वितरित किए जाएं। द्वितीय सत्र में ही हितग्राहियों के बैंक खाते में अनुदान की प्रथम किश्त रू. 40,000 / – भी अन्तरित की जाना है।

3. हितग्राहियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाना अपेक्षित है:–

अ– वर्ष 2016–17 के लिए चयनित सभी पात्र हितग्राहियों को कार्यक्रम में लाने–ले जाने एवं उनके भोजन की व्यवस्था।

ब– कार्यक्रम स्थल पर हितग्राहियों की बैठक व्यवस्था पंचायतवार सेक्टर बनाकर की जाए और हितग्राहियों को सेक्टर के भीतर क्लस्टर अनुसार बैठाया जाए। प्रत्येक क्लस्टर के लिए **ADEO/PCO** की ड्यूटी लगाई जाए और उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो।

स– हितग्राहियों को आवास निर्माण की मार्गदर्शिका पुस्तक एवं स्वीकृति आदेश वितरित करने की क्लस्टरवार जनपद पंचायतवार व्यवस्था की जाए।

द– प्रत्येक सेक्टर में हितग्राहियों के लिए आडियो विजुअल **(PPP** एवं फिल्म**)** प्रदर्शन की व्यवस्था की जाए।

4. कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में एक प्रदर्शनी लगाई जाए। इस प्रदर्शनी में हितग्राहियों को दी जाने वाली सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के मकानों की डिजाईन, निर्माण सामग्री की व्यवस्था तथा अन्य जानकारी जो आवास निर्माण के लिए आवश्यक समझी जाए का प्रदर्शन किया जाए। प्रदर्शनी लगाने की जिम्मेदारी कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को सौंपी जा सकती है।

5. उन्मुखीकरण के लिए प्रत्येक जनपद पंचायत के लिए जिला स्तर के राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए जो हितग्राहियों को प्रशिक्षण दें। जिला स्तर के ऐसे अधिकारियों को जिला कलेक्टर स्वयं एक घन्टे का प्रशिक्षण समय रहते दे दें। इस प्रशिक्षण में जनपद पंचायत के समस्त कार्यपालन अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। जिला स्तर के अधिकारियों के इस प्रशिक्षण में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फिल्म का प्रदर्शन किया जाए, मार्गदर्शिका पुस्तिका में दी गई जानकारी का पावर प्वाईन्ट प्रेजेन्टेशन किया जाए, निर्माण सामग्री और मिस्त्री की व्यवस्था संबंधी जानकारी दी जाए तथा क्लस्टरवार जनपद पंचायतवार हितग्राहियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

6. कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रति चयनित पात्र हितग्राही रू. 300/- के मान से एकजाई राशि जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशि में कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं (हितग्राहियों को लाने-ले जाने एवं भोजन सहित) की जाए। कार्यक्रम के आयोजन के उपरान्त संलग्न प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश को भेजा जाए।

7. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मार्गदर्शिका की साफ्टकापी मनरेगा की वेबसाईट **nregs-mp.org** पर उपलब्ध है। मार्गदर्शिका पुस्तिका छपवाकर आपको राज्य स्तर से उपलब्ध कराई जाएगी।

8. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि/अध्यक्ष के संबंध में पृथक से निर्देश प्रसारित किए जाएंगे।

10.12.16.
(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त

पृ.क्र. / दिनांक 09/12/2016

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. संभागीय आयुक्त समस्त, मध्यप्रदेश।
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मा. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।

10.12.16.
(राधेश्याम जुलानिया)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उन्मुखीकरण कार्यक्रम दिनांक..........

अनु.क्र.	जनपद पंचायत	क्लस्टर	भाग लेने वाले हितग्राहियों की संख्या
योग			

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के उन्मुखीकरण कार्यक्रम दिनांक............में सफलतापूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम के आयोजन में किए गए व्यय के देयक जिला पंचायत व्दारा संधारित किए गए हैं। कार्यक्रम के आयोजन में कुल राशि रू..................व्यय की गई है।

हस्ताक्षर
(नाम..................................)
लेखाधिकारी
जिला पंचायत

हस्ताक्षर
(नाम..................................)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत